क्रमांक ....

इण्टरमीडिएट परीक्षा 2024 (एक वर्षीय)
इण्टरमीडिएट परीक्षा 2025 (दो वर्षीय)

(मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्ग)

पत्राचार अभ्यर्थियों के पत्राचार पाठ्यक्रम

की

विवरण-पत्रिका

पत्राचार शिक्षा पंजीकरण आवेदन-पत्र

पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश,

53, महात्मा गांधी मार्ग,
प्रयागराज-211001
दूरभाष नम्बर-(0532) 4025913

ईमेल पता : patracharshikshasansthan@gmail.com

पत्राचार शिक्षा कार्यक्रम दो वर्षीय/एक वर्षीय एक दृष्टि में

[क] दो वर्षीय पाठ्यक्रम में पंजीकरण हेतु निर्धारित कार्यक्रम

(कक्षा-10 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु)

परीक्षा वर्ष 2025 हेतु पंजीकरण अवधि-	मा0 शि0 प0 उ0 प्र0 की कक्षा-11 में पंजीकरण की निर्धारित अन्तिम तिथि तक।
	मा0 शि0 प0 उ0 प्र0 की पंजीकरण की अन्तिम तिथि से 30.09.2023 तक विलम्ब शुल्क सहित।
	विशेष परिस्थिति में यदि 30.9.2023 के बाद बोर्ड की तिथि बढ़ती है तो विशेष दण्ड शुल्क सहित पंजीकरण कराया जा सकता है।

[ख] एक वर्षीय पाठ्यक्रम में पंजीकरण हेतु निर्धारित कार्यक्रम

(कक्षा-11 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों हेतु)

(क) बिना विलम्ब शुल्क के पंजीकरण की निर्धारित तिथि।	मा0 शि0 प0, उ0 प्र0 द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि तक।
(ख) रु0 25.00 विलम्ब दण्ड सहित पंजीकरण कराने की निर्धारित तिथि	मा0 शि0 प0, उ0 प्र0, द्वारा विलम्ब दण्ड शुल्क के साथ शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि तक।

अभ्यर्थियों के लिये निर्देश

क-प्रस्तावना-

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट और हाई स्कूल परीक्षाओं में प्रतिवर्ष बहुत बड़ी संख्या में व्यक्तिगत परीक्षार्थी सम्मिलित होते हैं। इन व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को गुणवत्तापूर्ण नियमित रूप से अध्ययन की आवश्यकता होती है। अतः उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त हो सके इसके लिए अध्ययन की सुविधा देने, उनकी अध्ययनगत कठिनाइयों को दूर करने और शैक्षिक मार्ग-दर्शन करने के लिए उत्तर प्रदेश शासन द्वारा परिषदीय परीक्षाओं के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के लिए पत्राचार शिक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके लिए पत्राचार शिक्षा संस्थान की स्थापना की गई है। पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद् की इण्टरमीडिएट परीक्षा के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों के पत्राचार शिक्षण की व्यवस्था वर्ष 1984 की इण्टर परीक्षा से प्रारम्भ की गई है। वर्तमान में पत्राचार शिक्षण की दो योजनायें इस संस्थान द्वारा संचालित की जा रही हैं।

1-दो वर्षीय पत्राचार शिक्षा योजना-

इस योजना के अन्तर्गत वे परीक्षार्थी पत्राचार शिक्षण के माध्यम से इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह होंगे जिन्होंने हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् कम से कम दो शैक्षणिक सत्र तक किसी भी राजकीय अथवा मान्यताप्राप्त विद्यालयों में संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में शिक्षा न ग्रहण की हो। इस योजना में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को पत्राचार शिक्षण के दो वर्षीय पाठ्यक्रम में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और वे उक्त पाठ्यक्रम को पूर्ण करने के बाद ही इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। उदाहरणार्थ माध्यमिक शिक्षा परिषद् की 2025 की इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा में पंजीकरण के लिए अभ्यर्थी द्वारा वर्ष 2023 या उसके पूर्व हाई स्कूल या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की गई हो।

यदि कोई छात्र/छात्रा कक्षा 11 अनुत्तीर्ण होने के पश्चात् इण्टरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होना चाहता है तो उसे भी दो वर्षीय पत्राचार पाठ्यक्रम में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। अर्थात् यदि वर्ष 2023 में कक्षा 11 अनुत्तीर्ण होता है तो वर्ष 2025 की इण्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह होगा।

उक्त दोनों स्थितियों में आयु सीमा तथा अर्हता वही है जो माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा सम्बन्धित परीक्षा में व्यक्तिगत रूप से सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित है अथवा समय-समय पर निर्धारित होती रहेगी।

यदि पंजीकरण हो जाने के उपरान्त यह पाया गया कि किसी अभ्यर्थी ने गलत सूचनायें देकर अथवा जाल या प्रपंच करके अपना पंजीकरण करवा लिया है तो समुचित जाचोपरान्त आवश्यक होने की स्थिति में-

(क) उसे अनुसरण सम्बन्धी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र जो उसे परीक्षा में सम्मिलित होने की अर्हता प्रदान करता है, नहीं दिया जायेगा और यदि अनुसरण सम्बन्धी उपयुक्तता प्रमाण-पत्र निर्गत कर दिया गया हो तो उसे निरस्त कर दिया जायेगा।

(ख) उसका नाम पंजीकरण सूची से हटा दिया जायेगा तथा उसका शुल्क समपहृत (जब्त) कर लिया जायेगा।

(ग) उसे परीक्षा में बैठने से रोकने या उसकी परीक्षा निरस्त करने सम्बन्धित जैसी भी स्थिति हो, की संस्तुति सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश को कर दी जायेगी।

2-एक वर्षीय पत्राचार शिक्षा योजना-

एक वर्षीय शिक्षा योजना के अन्तर्गत वे परीक्षार्थी पत्राचार शिक्षा के माध्यम से इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अर्ह होंगे जिन्होंने कक्षा 11 अथवा उसकी समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो। इस योजना में सम्मिलित होने वाले छात्र/छात्राओं को पत्राचार शिक्षण के एक वर्षीय पाठ्यक्रम में अपना पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा और वे उक्त पाठ्यक्रम पूर्ण करने के पश्चात् ही इण्टरमीडिएट परीक्षा में सम्मिलित हो सकेंगे। उदाहरणार्थ माध्यमिक शिक्षा परिषद् की वर्ष 2024 की इण्टरमीडिएट की व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थी के लिए यह आवश्यक है कि उसने वर्ष 2023 या उससे पूर्व कक्षा 11 अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण की हो।

3-अनुसरण प्रमाण-पत्र-

दोनों ही योजनाओं में पंजीकृत स्वयंपाठियों से यह अपेक्षित है कि कृपया वे यह सुनिश्चित कर लें कि उनके परीक्षा आवेदन-पत्र के साथ उनके पंजीकरण केन्द्र द्वारा अनुसरण प्रमाण-पत्र संलग्न कर दिया गया है।

(ख) पत्राचार की परिधि में सम्मिलित इण्टरमीडिएट परीक्षा के वर्ग एवं विषय-

पत्राचार शिक्षण की उपर्युक्त दोनों योजनाओं के अन्तर्गत माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित इण्टरमीडिएट परीक्षा में दो अनिवार्य विषयों हिन्दी/सामान्य हिन्दी तथा खेल एवं शारीरिक शिक्षा के साथ-साथ मानविकी वर्ग, वैज्ञानिक वर्ग एवं वाणिज्य वर्ग के निम्नलिखित विषयों में सम्प्रति पत्राचार शिक्षा की व्यवस्था उपलब्ध है-

1-एक अनिवार्य विषय हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी

2-नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा

(क) मानविकी वर्ग

निम्नलिखित में से कोई चार विषय-

(एक) संस्कृत

(दो) उर्दू

(तीन) अंग्रेजी

(चार) इतिहास

(पांच) नागरिक शास्त्र

(छः) अर्थशास्त्र

(सात) संगीत गायन अथवा संगीत वादन

(आठ) चित्रकला अथवा रंजन कला

(नौ) समाज शास्त्र

(दस) गृह विज्ञान

(ग्यारह) भूगोल

(बारह) मनोविज्ञान अथवा शिक्षाशास्त्र

(तेरह) काष्ठ शिल्प अथवा ग्रन्थ शिल्प अथवा सिलाई।

(ख) वैज्ञानिक वर्ग

एक अनिवार्य विषय-सामान्य हिन्दी।

निम्नलिखित में से कोई चार विषय-

(एक) भौतिक विज्ञान।

(दो) रसायन विज्ञान।

(तीन) जीव विज्ञान।

(चार) गणित।

(पांच) मानविकी वर्ग के विषयों में से कोई एक विषय।

(ग) वाणिज्य वर्ग

अनिवार्य विषय-सामान्य हिन्दी।

निम्नलिखित में से कोई चार विषय-

2-लेखाशास्त्र

3-व्यवसाय अध्ययन

4-5-निम्नलिखित में से कोई दो विषय-

(एक) अर्थशास्त्र

(दो) अंग्रेजी

(तीन) गणित

(चार) मानविकी वर्ग के विषयों में से कोई एक विषय।

टीप- यदि कोई अभ्यर्थी सम्बन्धित वर्ग की उपर्युक्त सूची से भिन्न विषय परीक्षा हेतु चुनता है तो वह उस विषय की तैयारी स्वयं करेगा। उपर्युक्त विषयों से भिन्न विषयों के लिए पत्राचार में शिक्षण व्यवस्था नहीं की जायेगी और पत्राचार शिक्षण शुल्कों से कोई छूट देय नहीं होगी।

(ग) पत्राचार शिक्षा का माध्यम तथा प्रक्रिया–

1–परीक्षा–

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा व्यक्तिगत परीक्षार्थियों की परीक्षा पूर्ववत् सम्पादित की जायेगी परन्तु इण्टरमीडिएट परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थी जो पत्राचार शिक्षा की परिधि में आते हैं उन्हें अनिवार्य रूप से पत्राचार शिक्षण के माध्यम से परीक्षा में सम्मिलित होना पड़ेगा। माध्यमिक शिक्षा परिषद् की परीक्षा हेतु पत्राचार अभ्यर्थियों को व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में निर्धारित शुल्क देकर परीक्षा आवेदन–पत्र अपने पत्राचार पंजीकरण केन्द्र से ही माध्यमिक शिक्षा परिषद् को अनिवार्यतः अग्रसारित कराना होगा।

2–पत्राचार शिक्षा का माध्यम–

पत्राचार शिक्षा केवल हिन्दी माध्यम से ही दी जायेगी। अंग्रेजी या अन्य माध्यम से परीक्षा देने वाले अभ्यर्थी भी यदि पत्राचार पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अध्ययन का लाभ उठाना चाहें तो वे अपना पंजीकरण करा सकते हैं। किन्तु संस्थान द्वारा उन्हें अंग्रेजी या अन्य माध्यम की पाठ्य–सामग्री नहीं दी जायेगी।

3–पत्राचार पाठ्यक्रम–

पत्राचार शिक्षा का पाठ्यक्रम माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश द्वारा निर्धारित इण्टरमीडिएट परीक्षा का पाठ्यक्रम ही होगा।

4–पत्राचार पाठ्य–सामग्री–

पत्राचार में पंजीकृत स्वयंपाठियों को उनके द्वारा उपहृत विषयों की पाठ्य–सामग्री उनके पंजीकरण केन्द्र द्वारा ही प्राप्त करायी जायेगी।

5–(क)–मूल्यांकन–स्वयं जांच के प्रश्न–

प्रत्येक विषय के प्रत्येक प्रश्न–पत्र की प्रत्येक इकाई के विभिन्न पाठों पर आधारित स्वमूल्यांकन हेतु प्रश्न दिये जायेंगे जिन्हें हल करके छात्र स्वयं अपनी उपलब्धि से अवगत हो सकेंगे।

(ख)–छात्र उत्तर–पत्र मूल्यांकन–

प्रत्येक इकाई के अन्त में एक उत्तर–पत्र संलग्न होगा जिसका सप्रयास उत्तर लिखकर प्रत्येक अभ्यर्थी को निर्धारित अवधि के भीतर मूल्यांकन हेतु अपने पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र पर अनिवार्य रूप से जमा करना होगा।

अभ्यर्थी केन्द्र से मूल्यांकित छात्र उत्तर–पत्र भी निर्धारित तिथि तक प्राप्त कर लेंगे।

6–सम्पर्क शिविर–

पत्राचार में पंजीकृत अभ्यर्थियों की अध्ययन सम्बन्धी कठिनाइयों को दूर करने के लिए दो प्रकार के सम्पर्क शिविरों की व्यवस्था की जायेगी।

(1) सामान्य सम्पर्क शिविर–

पत्राचार शिक्षा योजना की दो वर्षीय योजना में पंजीकृत स्वयंपाठियों के लिए सामान्यतः दो सम्पर्क शिविर बोर्ड परीक्षा के पूर्व आयोजित किये जायेंगे। इन सम्पर्क शिविरों की अवधि दस–दस दिन की होगी। एक वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु पंजीकृत स्वयंपाठियों के लिए दस दिन का एक सम्पर्क शिविर आयोजित किया जायेगा। सम्पर्क शिविरों के आयोजन तिथियों एवं केन्द्रों की जानकारी पंजीकरण/केन्द्रों को संस्थान द्वारा तथा स्वयंपाठियों को उनके पंजीकरण केन्द्र से उपलब्ध करायी जायेगी।

(2) विज्ञान सम्पर्क शिविर-

दो वर्षीय पाठ्यक्रम में पंजीकृत विज्ञान वर्ग के स्वयंपाठियों के प्रयोगात्मक अभ्यास कार्य हेतु बोर्ड परीक्षा के पूर्व सामान्यतः दस-दस दिन के चार सम्पर्क शिविर आयोजित किये जायेंगे। एक वर्षीय पाठ्यक्रम में पंजीकृत विज्ञान वर्ग के स्वयंपाठियों के विज्ञान प्रयोगात्मक अभ्यास कार्य हेतु सामान्यतः 10-10 दिन के दो विज्ञान सम्पर्क शिविर उनकी परीक्षा वर्ष के पूर्व आयोजित किये जायेंगे। इन सम्पर्क शिविरों की सूचना स्वयंपाठियों को उनके पंजीकरण केन्द्र से ही उपलब्ध करायी जायेगी। विज्ञान प्रयोगात्मक अभ्यास कार्य हेतु आयोजित सम्पर्क शिविरों में स्वयंपाठियों की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

(घ) इण्टर व्यक्तिगत परीक्षा में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए पत्राचार पाठ्यक्रम की अनिवार्यता-

इण्टरमीडिण्ट परीक्षा के मानविकी, वैज्ञानिक और वाणिज्य वर्ग में पूर्व में दिये गये विषयों में पत्राचार शिक्षा की व्यवस्था लागू है। अतः वे अभ्यर्थी जो पत्राचार शिक्षण की पूर्व में दी गयी दोनों योजनाओं में से किसी भी योजना में अर्हता रखते हैं, उन्हें पत्राचार शिक्षण के माध्यम से ही व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में बैठना अनिवार्य होगा।

पत्राचार शिक्षा की अनिवार्यता से अधोलिखित श्रेणी के व्यक्तिगत परीक्षार्थियों को मुक्त रखा गया है-

1-विगत वर्षों की इण्टरमीडिएट परीक्षा में अनुत्तीर्ण परीक्षार्थी (माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, नियम संग्रह)।

2-विनियम 17 तथा विनियम 20, अध्याय 11 के अन्तर्गत अतिरिक्त विषय/विषयों के परीक्षार्थी अथवा आंशिक परीक्षार्थी।

3-उक्त नियम संग्रह के अध्याय 14 के विनियम 3 के प्रतिबन्धात्मक खण्ड तथा विनियम 3-ख के अन्तर्गत आने वाले परीक्षार्थी।

4-हिन्दी से भिन्न किसी अन्य माध्यम से परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी।

5-नेत्रहीन (अन्धे) तथा चलने-फिरने में शारीरिक रूप से अक्षम परीक्षार्थी।

6-भारतीय सेना में नियमित रूप से कार्यरत परीक्षार्थी।

7-मानविकी, वैज्ञानिक एवं वाणिज्य वर्गों से इतर वर्गों में परीक्षा देने वाले परीक्षार्थी।

(च) पंजीकरण प्रक्रिया-

1-पंजीकरण केन्द्र-संस्थान द्वारा प्रत्येक जनपद के मुख्यालय तथा जनपद की विभिन्न तहसीलों में अवस्थित उपयुक्त बालक तथा बालिका इण्टर कालेजों को पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र बनाया गया है। बालक विद्यालयों में केवल पुरुष अभ्यर्थियों का पंजीकरण होगा तथा बालिका विद्यालय में केवल महिला अभ्यर्थियों का पंजीकरण होगा। जिन तहसीलों में केवल बालक विद्यालय ही पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र हैं उनमें पुरुष एवं महिला दोनों ही अभ्यर्थियों का पंजीकरण हो सकेगा परन्तु बालिका विद्यालयों में पुरुष अभ्यर्थियों का पंजीकरण नहीं होगा।

2-पंजीकरण शुल्क जमा करके आवेदन-पत्र का फार्म लेने मात्र से किसी अभ्यर्थी को पंजीकृत नहीं माना जायेगा जब तक कि वह निर्धारित शुल्क मूल चालान सहित आवेदन-पत्र पंजीकरण केन्द्र पर जमा नहीं कर देता है।

दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु शुल्क

वर्ष 2025 की इण्टरमीडिएट परीक्षा के दो वर्षीय पाठ्यक्रम के लिए पत्राचार शिक्षा हेतु पंजीकरण शुल्क, पत्राचार शिक्षण शुल्क तथा अन्य शुल्क की निर्धारित दरें तथा उनकी जमा करने की तिथियां एवं प्रविधि निम्नवत् है :

शुल्क का नाम	निर्धारित दरें	जमा करने की तिथि	जमा करने की प्रविधि	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
(1) पंजीकरण शुल्क	रु0 40.00	पंजीकरण के लिए निर्धारित तिथि मा0 शि0 प0 उ0 प्र0 की कक्षा 11 में पंजीकरण की निर्धारित अन्तिम तिथि तक।	राजकोषागार अथवा उपकोषागार में जमा किया जाना चाहिए	पंजीकरण शुल्क का चालान आवेदन-पत्र की मांग के साथ ही भेजा जाना आवश्यक है।
(2) (क) पंजीकरण दण्ड शुल्क	रु0 25.00	मा0 शि0 प0, उ0 प्र0 की निर्धारित अन्तिम तिथि से 30.09.2023 तक।		
(ख) पंजीकरण विशेष दण्ड शुल्क	रु0 50.00	30.09.2023 से आगे यदि बोर्ड की तिथि बढ़ती है तब उस तिथि तक पंजीकरण कराया जा सकता है।		
(3) पत्राचार शिक्षण शुल्क क-सामान्य अभ्यर्थियों के लिए	रु0 760.00	सम्पूर्ण शुल्क एक ही किस्त में जमा की जानी है	राजकोषागार अथवा उपकोषागार में जमा किया जाना चाहिए	सम्पूर्ण शुल्क एक ही किस्त में जमा की जानी है।
ख-अनुसूचित जाति/जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए	रु0 460.00	एक ही किस्त में रु0 460.00 जमा किया जाना है।	राजकोषागार अथवा उपकोषागार में जमा किया जाना चाहिए	रु0 460.00 की एक ही किस्त का ट्रेजरी चालान आवेदन-पत्र के साथ पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र पर जमा किया जायेगा।
(4) विज्ञान शुल्क केवल विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिए	रु0 200.00	एक ही किस्त में रु0 200.00 जमा किया जाना है।	राजकोषागार अथवा उपकोषागार में जमा किया जाना चाहिए	रु0 200.00 की एक ही किस्त का ट्रेजरी चालान आवेदन-पत्र के साथ पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र पर जमा किया जायेगा।

एक वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु शुल्क

वर्ष 2024 की इण्टरमीडिएट परीक्षा के एक वर्षीय पाठ्यक्रम के लिये पत्राचार शिक्षा हेतु पंजीकरण शुल्क तथा अन्य शुल्क की निर्धारित दरें तथा उन्हें जमा करने की तिथियां एवं प्रविधि निम्नवत् हैं :

शुल्क का नाम	निर्धारित दरें	जमा करने की तिथि	जमा करने का स्थान	अन्य विवरण
1	2	3	4	5
1-पंजीकरण शुल्क	रु0 40.00	पंजीकरण के लिये निर्धारित मा0शि0प0 उ0प्र0, की परीक्षा शुल्क जमा करने की अन्तिम तिथि तक।	राजकोषागार अथवा उपकोषागार में जमा किया जाना चाहिये	पंजीकरण शुल्क का मूल ट्रेजरी चालान आवेदन-पत्र की मांग के साथ ही भेजा जाना आवश्यक है।
2- पंजीकरण दण्ड शुल्क	रु0 25.00	मा0शि0प0, उ0प्र0 द्वारा विलम्ब दण्ड शुल्क के साथ फार्म भरने की निर्धारित तिथि तक।	-तदैव-	-तदैव-
3-पत्राचार शिक्षण शुल्क (सामान्य अभ्यर्थियों के लिये)	रु0 380.00	पंजीकरण के लिये निर्धारित अन्तिम तिथि (मा0शि0प0, उ0प्र0 की परीक्षा शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि तक)	राजकोषागार अथवा उपकोषागार में जमा किया जायेगा	रु0 380.00 का ट्रेजरी चालान आवेदन-पत्र के साथ पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र पर जमा किया जायेगा।
4-पत्राचार शिक्षण शुल्क अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिये	रु0 230.00	-तदैव-	-तदैव-	रु0 230.00 का मूल ट्रेजरी चालान आवेदन-पत्र के साथ पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र पर जमा किया जायेगा।
5-विज्ञान शुल्क (केवल विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये)	रु0 100.00	-तदैव-	राजकोषागार अथवा उपकोषागार में जमा किया जाना चाहिये	रु0 100.00 का ट्रेजरी चालान आवेदन-पत्र के साथ ही पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र पर जमा किया जायेगा।

नोट- समस्त शुल्क ट्रेजरी चालान के माध्यम से एक ही किस्त में जमा करना होगा।

निर्धारित तिथि तक अभ्यर्थी द्वारा विलम्ब शुल्क सहित पत्राचार शिक्षण शुल्क तथा विज्ञान शुल्क नहीं जमा करने पर उसे पत्राचार पाठ्य-सामग्री उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। पत्राचार शिक्षण शुल्क तथा विज्ञान शुल्क की धनराशि नियमानुसार तथा निर्देशानुसार जमा न करने पर सम्बन्धित अभ्यर्थी के पक्ष में पत्राचार शिक्षा अनुसरण प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किया जायेगा तथा उसका परीक्षा आवेदन-पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश को अग्रसारित नहीं किया जायेगा।

अतः अभ्यर्थी के हित में यह अपेक्षित है कि वह पत्राचार शिक्षण शुल्क परीक्षा वर्ष के पूर्व परीक्षा आवेदन-पत्र भरने की अन्तिम तिथि तक ट्रेजरी में जमा करके मूल ट्रेजरी चालान-पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र पर निर्धारित तिथि तक अवश्य उपलब्ध करा दें अथवा किन्हीं विशेष परिस्थितियों में लेट-फीस सहित निर्धारित अन्तिम तिथि तक ट्रेजरी में अपेक्षित धनराशि जमा करके मूल ट्रेजरी चालान अपने पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र पर अवश्य जमा कर दें जिससे अभ्यर्थी के पक्ष में अनुसरण प्रमाण-पत्र निर्गत करने तथा उसका परीक्षा आवेदन-पत्र माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश को अग्रसारित करने में नियमानुसार कठिनाई उत्पन्न न हो।

दो वर्षीय एवं एक वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु पंजीकरण कार्यक्रम

	दो वर्षीय	एक वर्षीय
1	2	3
1-पंजीकरण अवधि	मा0शि0प0 उ0प्र0 की कक्षा-11 में पंजीकरण की निर्धारित अन्तिम तिथि तक।	मा0शि0प0, उ0प्र0 द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने की निर्धारित तिथि तक।
2-पूरित आवेदन-पत्र पत्राचार शिक्षण शुल्क तथा विज्ञान वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये विज्ञान शुल्क की अपेक्षित धनराशि के ट्रेजरी चालान तथा अन्य संलग्नक सहित पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र पर अभ्यर्थी द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	मा0शि0प0 उ0प्र0, द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक।	मा0शि0प0 उ0प्र0, द्वारा परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि तक।
3-जांचोपरान्त पत्राचार आवेदन-पत्र संस्थान में प्राप्त कराने की निर्धारित तिथि	उपरोक्त के पन्द्रह दिन के भीतर।	उपरोक्त के पन्द्रह दिन के भीतर।
4-(अ) रु0 25.00 वर्षीय योजना हेतु पंजीकरण दण्ड शुल्क के साथ यथा विधि पूरित आवेदन-पत्र पत्राचार पंजीकरण केन्द्र पर अभ्यर्थी द्वारा जमा करने की तिथि	मा0शि0प0, उ0प्र0 की निर्धारित अन्तिम तिथि से 30.09.2023 तक।	मा0शि0प0, उ0प्र0, द्वारा विलम्ब दण्ड शुल्क के साथ फार्म भरने की निर्धारित तिथि तक।
(ब) जांचोपरान्त पत्राचार आवेदन-पत्र संस्थान में उपलब्ध कराने की निर्धारित तिथि	-	उपरोक्त के एक सप्ताह के भीतर।
5-पत्राचार शिक्षण शुल्क तथा विज्ञान शुल्क का ट्रेजरी चालान पत्राचार पंजीकरण केन्द्र पर अभ्यर्थी द्वारा जमा करने की अन्तिम तिथि	-	मा0शि0प0, उ0प्र0 की तिथि के अनुसार।
6-विलम्ब शुल्क सहित पत्राचार शिक्षण शुल्क तथा विज्ञान शुल्क राजकोष में जमा करके ट्रेजरी चालान केन्द्र पर जमा करने की अन्तिम तिथि	-	तदैव
7-परीक्षा शुल्क राजकोष में जमा करके मूल ट्रेजरी चालान पत्राचार पंजीकरण केन्द्र पर जमा करने की अन्तिम तिथि	-	तदैव
8-विलम्ब शुल्क सहित परीक्षा शुल्क राजकोष में जमा करके मूल ट्रेजरी चालान पत्राचार पंजीकरण केन्द्र पर जमा करने की अन्तिम तिथि	-	तदैव

स्वयंपाठियों द्वारा शुल्क जमा करने सम्बन्धी निर्देश

1-पत्राचार शिक्षा से सम्बन्धित सभी प्रकार का ''शुल्क लेखा शीर्षक 0202 शिक्षा, 01 सामान्य शिक्षा, 102 माध्यमिक शिक्षा, 04 पत्राचार पाठ्यक्रम शुल्क'' के अन्तर्गत जमा किया जायेगा।

2-शुल्क की राशि ट्रेजरी चालान से भिन्न किसी अन्य माध्यम अथवा मनीआर्डर, नगद, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर आदि से किसी भी दशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।

3-अतः अभ्यर्थी इस बात का विशेष ध्यान रखें कि वे सभी शुल्क अर्थात् पंजीकरण शुल्क, पंजीकरण दण्ड शुल्क पत्राचार शिक्षण शुल्क, विज्ञान शुल्क एवं पत्राचार शिक्षण विलम्ब शुल्क ट्रेजरी चालान द्वारा ही जमा करके भिजवायें तथा किसी भी दशा में नगद, बैंक ड्राफ्ट, पोस्टल आर्डर से न भेजें।

4-सामान्यतः किसी अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। विशिष्ट मामलों में अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार शिक्षा) द्वारा छात्र के प्रार्थना-पत्र पर विचार करने के उपरान्त आगामी वर्ष की परीक्षा के लिये शुल्क सुरक्षित रखा जायेगा।

5-ट्रेजरी चालान की पत्राचार एवं परीक्षा शुल्क से संबंधित कुल छः प्रतियां विवरण पत्रिका के साथ संलग्न है जिस पर लेखा शीर्षक तथा अन्य सम्बन्धित विवरण मुद्रित हैं। इनकी सभी प्रविष्टियां सावधानी से भरें जिससे लेखा शीर्षक में अथवा अन्य किसी प्रकार की गलती होने की सम्भावना न रहे।

प्रेषक,

अपर शिक्षा निदेशक (प0शि0) ,
पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ0प्र0,
प्रयागराज।

सेवा में,

प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या,
समस्त पत्राचार पंजीकरण केन्द्र।

पत्रांक : पत्राचार/शि0स0/43-160, दिनांक-17.04.2023

विषय :- पत्राचार से सम्बन्धित एक वर्षीय एवं दो वर्षीय छात्रों के पंजीकरण के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

आप अवगत ही हैं कि माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 द्वारा शैक्षिक सत्र 01 अप्रैल से 31 मार्च तक कर दिया गया है। उक्त के आलोक में आपको निर्देशित किया जाता है कि पत्राचार के एक वर्षीय एवं द्विवर्षीय पाठ्यक्रम में छात्रों का पंजीकरण अनिवार्य रूप से भविष्य में आगामी वर्षों में निम्नलिखित तालिकानुसार किया जाये :-

पत्राचार पाठ्यक्रम	पंजीकरण अवधि/वर्ष	परीक्षा वर्ष
एक वर्षीय	मा0शि0प0 की परीक्षा फार्म भरने की अंतिम तिथि तक	2024
दो वर्षीय	मा0शि0प0, उ0प्र0 की कक्षा-11 में पंजीकरण की निर्धारित अन्तिम तिथि तक तथा विलम्ब शुल्क के साथ 30.09.2023 तक 30.09.2023 से आगे यदि बोर्ड की तिथि बढ़ती है तो विशेष दण्ड शुल्क सहित पंजीकरण कराया जा सकता है।	2025

भवदीय,

डॉ0 (सरिता तिवारी)
अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार)
पत्राचार शिक्षा संस्थान उ0प्र0,
प्रयागराज।

पृष्ठांकन संख्या पत्राचार/43-160/तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सचिव, माध्यमिक शिक्षा पषिद्, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. अपर सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, क्षेत्रीय कार्यालय, प्रयागराज/बरेली/मेरठ/वाराणसी/गोरखपुर।
3. समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
4. समस्त मण्डलीय उप शिक्षा निदेशक, उ0प्र0।
5. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।

डॉ0 (सरिता तिवारी)
अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार)
पत्राचार शिक्षा संस्थान उ0प्र0,
प्रयागराज।

कोषागार प्रपत्र-209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग 2
प्रपत्र संख्या-43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)
धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा ....

1-जिस व्यक्ति (पद नाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम ....

2-पता ....

3-पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) ....

4-जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

विवरण	धनराशि रु0	धनराशि पै0
इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 20 .... के लिये पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ0 प्र0, प्रयागराज द्वारा संचालित पत्राचार दो वर्षीय/एक वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु (1) पंजीकरण शुल्क (2) पंजीकरण दण्ड शुल्क/विशेष दण्ड शुल्क (3) पत्राचार शिक्षण शुल्क (4) विज्ञान शुल्क		
कुल योग . . .		

5-चालान की सकल राशि ....

6-चालान की निबल राशि ....

7-लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर — 0202-शिक्षा, 01-सामान्य शिक्षा, 102-माध्यमिक शिक्षा, 04-पत्राचार पाठ्यक्रम शिक्षण शुल्क

8-लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
0 2 0 2	0 1	1 0 2	0 4	0 0	

धनराशि (शब्दों में) ....

योग . . . [ ]

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उप कोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या .... अंकों में रु0 [ ]

दिनांक .... शब्दों में रु0 [ ]

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व उप कोषागार/
बैंक की मुहर सहित

विवरण :	रोकड़ (विवरण सहित)	(धनराशि रुपयों में)
	नोट/सिक्के	
	500 ×	
	200 ×	
	100 ×	
	50 ×	
	20 ×	
	10 ×	
	5 ×	
	2 ×	
	1 ×	
	चेक (पूर्ण विवरण के साथ)	
	योग . . .	

टिप्पणी :-

1-जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार.कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-3 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित करना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य खण्ड-2 (लोक लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तम्भों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

2-जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखा शीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।

कोषागार प्रपत्र-209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग 2
प्रपत्र संख्या-43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)
धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा ....

1-जिस व्यक्ति (पद नाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम ....

2-पता ....

3-पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) ....

4-जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

विवरण	धनराशि रु0	धनराशि पै0
इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 20 .... के लिये पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ0 प्र0, प्रयागराज द्वारा संचालित पत्राचार दो वर्षीय/एक वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु (1) पंजीकरण शुल्क (2) पंजीकरण दण्ड शुल्क/विशेष दण्ड शुल्क (3) पत्राचार शिक्षण शुल्क (4) विज्ञान शुल्क		
कुल योग . . .		

5-चालान की सकल राशि ....

6-चालान की निबल राशि ....

7-लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर — 0202-शिक्षा, 01-सामान्य शिक्षा, 102-माध्यमिक शिक्षा, 04-पत्राचार पाठ्यक्रम शिक्षण शुल्क

8-लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
0 2 0 2	0 1	1 0 2	0 4	0 0	

धनराशि (शब्दों में) ....

योग . . .

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उप कोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या .... अंकों में रु0

दिनांक .... शब्दों में रु0

प्राप्त किया

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व उप कोषागार/ बैंक की मुहर सहित

विवरण :	रोकड़ (विवरण सहित)	(धनराशि रुपयों में)
	नोट/सिक्के	
	500 ×	
	200 ×	
	100 ×	
	50 ×	
	20 ×	
	10 ×	
	5 ×	
	2 ×	
	1 ×	
	चेक (पूर्ण विवरण के साथ)	
	योग . . .	

टिप्पणी :-

1-जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार.कर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-3 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित करना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य खण्ड-2 (लोक लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तम्भों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

2-जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखा शीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।

कोषागार प्रपत्र-209 (1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड 5, भाग 2
प्रपत्र संख्या-43 ए (1)
(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिये)
धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा ....

1-जिस व्यक्ति (पद नाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम ....

2-पता ....

3-पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो) ....

4-जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)

विवरण	धनराशि रु0	धनराशि पै0
इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष 20 .... के लिये पत्राचार शिक्षा संस्थान, उ0 प्र0, प्रयागराज द्वारा संचालित पत्राचार दो वर्षीय/एक वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु (1) पंजीकरण शुल्क (2) पंजीकरण दण्ड शुल्क/विशेष दण्ड शुल्क (3) पत्राचार शिक्षण शुल्क (4) विज्ञान शुल्क		
कुल योग . . .		

5-चालान की सकल राशि ....

6-चालान की निबल राशि ....

7-लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण/लेखा शीर्षक की मुहर — 0202-शिक्षा, 01-सामान्य शिक्षा, 102-माध्यमिक शिक्षा, 04-पत्राचार पाठ्यक्रम शिक्षण शुल्क

8-लेखा शीर्षक का 13 डिजिट कोड

मुख्य लेखा शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्योरेवार शीर्षक	धनराशि (अंकों में)
0 2 0 2	0 1	1 0 2	0 4	0 0	

धनराशि (शब्दों में) ....

योग . . . ______

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उप कोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या .... अंकों में रु0 ______

दिनांक .... शब्दों में रु0 ______

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर व उप कोषागार/
बैंक की मुहर सहित

		(धनराशि रुपयों में)
विवरण :	रोकड़ (विवरण सहित)	
	नोट/सिक्के	
	500 ×	
	200 ×	
	100 ×	
	50 ×	
	20 ×	
	10 ×	
	5 ×	
	2 ×	
	1 ×	
	चेक (पूर्ण विवरण के साथ)	
	योग . . .	

टिप्पणी :-

1-जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापारकर, स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा, लोक सेवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-3 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित करना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य खण्ड-2 (लोक लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूंजी लेखे की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तम्भों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

2-जिन जमा धनराशियों के लिये विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखा शीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा-शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।

क्रमांक ....

पंजीकरण संख्या

जनपद कोड		विद्यालय कोड			पंजीकरण वर्ष कोड		परीक्षा वर्ष कोड		अभ्यर्थी क्रमांक कोड				पाठ्यक्रम कोड

एक वर्षीय/दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु पत्राचार पंजीकरण आवेदन-पत्र

पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

इण्टरमीडिएट, व्यक्तिगत परीक्षा के लिये निर्धारित पत्राचार पाठ्यक्रम व पंजीकरण हेतु आवेदन-पत्र

इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ष ....

इण्टरमीडिएट परीक्षा वर्ग ....

प्रमाणित पासपोर्ट साइज फोटो

सेवा में,

अपर शिक्षा निदेशक (पत्राचार शिक्षा)
पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश,
प्रयागराज।

मैं, माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज द्वारा संचालित की जाने वाली वर्ष .... की इण्टरमीडिएट .... वर्ग की परीक्षा में व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने के ध्येय से अपना पंजीकरण पत्राचार शिक्षा संस्थान में एक वर्षीय/दो वर्षीय योजना में कराना चाहता/चाहती हूं।

मैंने पत्राचार शिक्षा संस्थान से सम्बन्धित निर्देश का भी अध्ययन भली-भांति कर लिया है और यह आश्वासन देता हूं/देती हूं कि उसका पालन पत्राचार पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित दो शैक्षिक सत्रों/एक शैक्षिक सत्र की अवधि में निष्ठा के साथ करता रहूंगा/करती रहूंगी।

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

1-प्रार्थी/प्रार्थिनी का नाम श्री/श्रीमती/कु0 ....

2-प्रार्थी/प्रार्थिनी का आधार संख्या ....

3-पिता का नाम श्री ....

4-माता का नाम श्रीमती ....

5-पता ....

ग्राम/मुहल्ला ....

पोस्ट ....

जनपद ....

6–जन्म तिथि ____________________ (प्रमाण-पत्र संलग्न किया जाय)।

संलग्नक संख्या ____________________

7–उत्तर प्रदेश में निवास की अवधि ____________________

8–जाति (यदि अनुसूचित जाति/जनजाति) के हैं तो इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण-पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की जाय।

9–पिता-माता का व्यवसाय ____________________

10–स्वयंपाठी का व्यवसाय यदि कोई हो ____________________

11–इण्टर ____________________ वर्ग के अन्तर्गत लिये गये उन विषयों के नाम जिनमें प्रार्थी/प्रार्थिनी इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा देना चाहता/चाहती है।

अनिवार्य विषय	वर्ग के ऐच्छिक विषय	
1–हिन्दी अथवा सामान्य हिन्दी	3–	5–
2–नैतिक, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा	4–	6–

नोट :–(1) पत्राचार शिक्षा हेतु स्वीकृत विषयों की सूची विवरण पत्रिका में अंकित है। यदि कोई अभ्यर्थी सूची में अंकित विषयों से भिन्न कोई विषय चुनता है तो उस विषय की तैयारी वह स्वयं करेगा। संस्थान द्वारा उसकी पाठ्य सामग्री नहीं भेजी जायेगी और इस हेतु पत्राचार शिक्षण शुल्क में कोई छूट नहीं दी जायेगी।

12–माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश के नियम संग्रह में उल्लिखित अर्हकारी परीक्षाओं से उस परीक्षा का नाम जिसे प्रार्थी/प्रार्थिनी ने उत्तीर्ण किया हो।

(क) परीक्षा का नाम ____________________

(ख) उत्तीर्ण करने का वर्ष ____________________

(ग) परीक्षा संचालन करने वाली संस्था का नाम ____________________

(घ) प्रमाण-पत्र, अंक-पत्र की प्रमाणित प्रति संलग्न की जाय ____________________

संलग्नक संख्या ____________________

(ङ) संस्थागत छात्र/छात्रा के रूप में उत्तीर्ण अन्तिम संस्था का स्थानान्तरण

प्रमाण-पत्र ____________________

(जो जिला विद्यालय निरीक्षक से प्रति हस्ताक्षरित हो)

संलग्नक संख्या ____________________

13–पत्राचार शुल्क जमा करने के कोष पत्रों का विवरण ____________________

भाग संख्या ____________________ कोष पत्र संख्या ____________________

दिनांक ____________________ धनराशि ____________________ ट्रेजरी का नाम ____________________

____________________ संलग्नक संख्या ____________________

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाण-पत्र एवं अग्रसारण

प्रमाणित किया जाता है कि-

(1) अभ्यर्थी ने परीक्षा हेतु जितने विषयों का चयन किया है वे माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज के संगत नियमों के अनुकूल हैं।

(2) अभ्यर्थी इण्टर परीक्षा वर्ग ______________________ के वर्ष ______________________

व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में सम्मिलित होने के लिये सर्वथा अर्ह है।

(3) अभ्यर्थी द्वारा जमा किये गये पंजीकरण शुल्क, दण्ड शुल्क (आवश्यकतानुसार) तथा पत्राचार शिक्षण शुल्क (आवश्यकतानुसार) तथा विज्ञान शुल्क ट्रेजरी चालान मूल रूप में संलग्न है।

(4) अभ्यर्थी की पंजीकरण संख्या

(5) अभ्यर्थी का आवेदन-पत्र उसके संलग्नकों सहित अग्रसारित किया जाता है।

दिनांक ....

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

नाम ....

विद्यालय की मुहर ....

नीचे का अंश सम्बन्धित अभ्यर्थी को उसकी पंजीकरण संख्या अंकित करके दिया जाना है।

पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र के प्रधानाचार्य द्वारा प्रमाण-पत्र एवं अग्रसारण

पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

पंजीकरण-पत्र

पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र का नाम ....

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु0 ....

दिनांक ....

इण्टरमीडिएट .... वर्ष की परीक्षा वर्ग ....

के लिये स्वयंपाठी के रूप में पत्राचार शिक्षा योजनान्तर्गत दो वर्षीय/एक वर्षीय पाठ्यक्रम में पंजीकरण हेतु आपके आवेदन-पत्र पर विचारोपरान्त आपका नाम पंजीकृत कर लिया गया है।

आपकी पंजीकरण संख्या

है।

भविष्य में पत्र-व्यवहार करते समय अपनी पंजीकरण संख्या का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा पत्र का उत्तर देना सम्भव नहीं होगा।

आपके द्वारा इच्छित विषय
(जो अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने हैं।)

संस्थान की व्यवस्था के अन्तर्गत पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र द्वारा अनुमोदित विषय पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से अनुमन्य विषय समुच्चय की जांच करके विषय भरे जायेंगे।

1.
2.
3.
4.
5.
6.

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या
विद्यालय की मुहर

टिप्पणी- (i) केन्द्र के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या विषय समुच्चय की जांच करके सन्तुष्ट हो लें कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमन्य विषय समुच्चय ही चुना है तथा पत्राचार शिक्षण शुल्क आदि नियमानुसार जमा कर दिया है तथा आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करके पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कर ली है।

(ii) पंजीकरण के प्रतिबन्धों को अभ्यर्थी द्वारा पूर्ति कराने के पश्चात् ही पंजीकरण संख्या निर्गत किया जाय।

(iii) अभ्यर्थियों को अपना नाम व पता तथा इच्छित विषय स्वयं भरना है।

<u>कार्यालय प्रति</u>

पत्राचार शिक्षा संस्थान, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज

एक वर्षीय/दो वर्षीय पाठ्यक्रम हेतु पंजीकरण-पत्र

पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र का नाम ....

सेवा में,

श्री/श्रीमती/कु0 ....

दिनांक ....

इण्टरमीडिएट .... वर्ष की परीक्षा .... वर्ग के लिये स्वयंपाठी छात्र के रूप में पत्राचार शिक्षा योजनान्तर्गत दो वर्षीय/एक वर्षीय पाठ्यक्रम में पंजीकरण हेतु आपके आवेदन-पत्र पर विचारोपरान्त आपका नाम पंजीकृत कर लिया गया है।

आपकी पंजीकरण संख्या														

है।

भविष्य में पत्र-व्यवहार करते समय अपनी पंजीकरण संख्या का उल्लेख अवश्य करें अन्यथा पत्र का उत्तर देना सम्भव नहीं होगा।

आपके द्वारा इच्छित विषय (जो अभ्यर्थी द्वारा भरे जाने हैं।)	संस्थान की व्यवस्था के अन्तर्गत पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र द्वारा अनुमोदित विषय (पत्राचार शिक्षा पंजीकरण केन्द्र के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या द्वारा माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश से अनुमन्य विषय समुच्चय की जांच करके विषय भरे जायेंगे।)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

पूरित पंजीकरण-पत्र प्राप्त किया।

हस्ताक्षर प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या

अभ्यर्थी का हस्ताक्षर

विद्यालय की मुहर

टिप्पणी- (1) केन्द्र के प्रधानाचार्य/प्रधानाचार्या विषय समुच्चय की जांच करके सन्तुष्ट हो लें कि अभ्यर्थी ने माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमन्य विषय समुच्चय ही चुना है पत्राचार शुल्क आदि नियमानुसार जमा कर दिया है तथा आवेदन-पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण-पत्र आदि प्रस्तुत करके पंजीकरण की अर्हता पूर्ण कर ली है।

(2) पंजीकरण से सम्बन्धित प्रतिबन्धों की पूर्ति केन्द्र द्वारा कराने के पश्चात् ही पंजीकरण पत्र निर्गत किया जाये।

(3) अभ्यर्थियों को अपना नाम व पता तथा इच्छित विषय स्वयं भरना है।

[कृपया पूर्ण रूप से भरकर पत्राचार आवेदन-पत्र के साथ पत्राचार शिक्षा संस्थान को भेजें।]

CANDIDATES COMPUTER DATA-SHEET

1. REGISTRATION CENTRE'S NAME

2. REGISTRATION NO. | | | | | | | | | | | | | | |

3. CANDIDATE'S NAME | | | | | | | | | | | | | | | | |

4. DATE OF BIRTH | | | | | | | | | | | | | | | | |

5. MOTHER'S NAME | | | | | | | | | | | | | | | | |

6. FATHER'S NAME | | | | | | | | | | | | | | | | |

7. ADDRESS | | | | | | | | | | | | | | | | |

MOH/VILL …………………………………………………………………………………...

POST ……………………………………….DISTRICT ……………………………………….

8. INTERMEDIATE EXAMINATION YEAR ……………………………………………...

9. EXAMINATION : GROUP ………………………………………………………………….

10. CATEGORY …………………………….. (SC/ST/OBC/GENERAL)

11. SEX (MALE/FEMALE) ……………………………………………………………………….

12. SUBJECT : 1. HINDI/GENERAL HINDI, 2. MORAL, YOGA, GAME AND PHYSICAL EDUCATION

3. 4. 5. 6.

13. FEES DETAIL (FOR CORRESPONDENCE COURSE)

14. TREASURY CHALAN NO. …………….. DATE ……………. AMOUNT Rs. ………………

BANK'S NAME …………………………………………………………………………….

15. CANDIDATES MOBILE No. ……..………..

SIGNATURE AND SEAL OF PRINCIPAL

कोषागार प्रपत्र 209(1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या-43ए(1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा	....
1-जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम	....
2-पता	....
3-पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)	....
4-जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा, 20.... की परीक्षा का शुल्क
5-चालान की सकल राशि	....
6-चालान की निबल राशि	....
7-लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण लेखा शीर्षक की मुहर	0202-शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 102-माध्यमिक शिक्षा 02-बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क
8-लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट कोड	....

मुख्य लेखा शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0 2 0 2	0 1	1 0 2	0 2	0 0	

धनराशि (शब्दों में) ....

योग . . | |

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उप कोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या ....

अंको में रु0 | |

शब्दों में रु0 | |

दिनांक ....

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार
बैंक की मुहर सहित

विवरण :	रोकड़ (विवरण सहित)	
	नोट/सिक्के	(धनराशि रुपयों में)
	500 ×	
	200 ×	
	100 ×	
	50 ×	
	20 ×	
	10 ×	
	5 ×	
	2 ×	
	1 ×	
	चेक (पूर्ण विवरण के साथ)	
	योग ..	

टिप्पणी :-

1- जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार-कर स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा लोक सेवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-3 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित करना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लोक लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूंजी लेखों की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तम्भों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

2- जिन जमा धनराशियों के लिए विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखा-शीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।

कोषागार प्रपत्र 209(1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या-43ए(1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा	....
1-जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम	....
2-पता	....
3-पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)	....
4-जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा, 20.... की परीक्षा का शुल्क
5-चालान की सकल राशि	....
6-चालान की निबल राशि	....
7-लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण लेखा शीर्षक की मुहर	0202-शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 102-माध्यमिक शिक्षा 02-बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क
8-लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट कोड	....

मुख्य लेखा शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0 2 0 2	0 1	1 0 2	0 2	0 0	

धनराशि (शब्दों में) ....

योग . . ____

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उप कोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या ....

अंको में रु0 ____

शब्दों में रु0 ____

दिनांक ....

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार
बैंक की मुहर सहित

विवरण : रोकड़ (विवरण सहित)		
नोट/सिक्के		(धनराशि रुपयों में)
500 ×		
200 ×		
100 ×		
50 ×		
20 ×		
10 ×		
5 ×		
2 ×		
1 ×		
चेक (पूर्ण विवरण के साथ)		
योग ..		

टिप्पणी :-

1- जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार-कर स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा लोक सेवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-3 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित करना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लोक लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूंजी लेखों की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तम्भों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

2- जिन जमा धनराशियों के लिए विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखा-शीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।

कोषागार प्रपत्र 209(1)

वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-5, भाग-2

प्रपत्र संख्या-43ए(1)

(प्रस्तर 417 एवं 478 देखिए)

धनराशि जमा करने का चालान फार्म

उपकोषागार/बैंक का नाम व शाखा	....
1-जिस व्यक्ति (पदनाम यदि आवश्यक हो) या संस्था के नाम से धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम	....
2-पता	....
3-पंजीकरण संख्या/पक्ष का नाम व वाद संख्या (यदि आवश्यक हो)	....
4-जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण (धनराशि किस हेतु जमा की जा रही है तथा किस विभाग के पक्ष में जमा की जा रही है)	माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उत्तर प्रदेश की इण्टरमीडिएट व्यक्तिगत परीक्षा, 20.... की परीक्षा का शुल्क
5-चालान की सकल राशि	....
6-चालान की निबल राशि	....
7-लेखा शीर्षक का पूर्ण विवरण लेखा शीर्षक की मुहर	0202-शिक्षा खेल कला एवं संस्कृति 01-सामान्य शिक्षा 102-माध्यमिक शिक्षा 02-बोर्ड की परीक्षाओं का शुल्क
8-लेखा-शीर्षक का 13 डिजिट कोड	....

मुख्य लेखा शीर्षक	उप मुख्य शीर्षक	लघु शीर्षक	उप शीर्षक	ब्यौरेवार शीर्षक	धनराशि (अंको में)
0 2 0 2	0 1	1 0 2	0 2	0 0	

धनराशि (शब्दों में) ....

योग . . | |

चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले
विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर मुहर सहित

जमाकर्ता का नाम व हस्ताक्षर

केवल उप कोषागार/बैंक के प्रयोगार्थ

चालान संख्या ....

अंको में रु0 | |

शब्दों में रु0 | |

दिनांक ....

प्राप्त किया
प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर उपकोषागार
बैंक की मुहर सहित

विवरण : रोकड़ (विवरण सहित)		
नोट/सिक्के		(धनराशि रुपयों में)
500 ×		
200 ×		
100 ×		
50 ×		
20 ×		
10 ×		
5 ×		
2 ×		
1 ×		
चेक (पूर्ण विवरण के साथ)		
योग ..		

टिप्पणी :-

1- जिन विभागों में अधिक संख्या में चालानों द्वारा धनराशि जमा होती है (जैसे व्यापार-कर स्टाम्प एवं पंजीकरण, शिक्षा लोक सेवा आयोग आदि) उन्हें बजट साहित्य के खण्ड-4 अथवा लोक लेखा खण्ड-3 के अनुसार लेखा शीर्षक मुद्रित करना उचित होगा। अन्य प्रकरणों में बजट साहित्य के खण्ड-2 (लोक लेखा) तथा खण्ड-4 (राजस्व एवं पूंजी लेखों की प्राप्तियां) में दर्शाये गये लेखा-शीर्षक के स्तम्भों के अनुरूप विभागीय अधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जायेगा।

2- जिन जमा धनराशियों के लिए विज्ञापन द्वारा सार्वजनिक रूप से प्रसारित लेखा-शीर्षक विशेष में धनराशि जमा करने हेतु निर्देशित किया गया है, तो ऐसी दशा में चालान फार्म के लेखा शीर्षक को सत्यापित करना आवश्यक नहीं होगा।

छात्र/छात्रा द्वारा स्व हस्तलिखित भरा जाना अनिवार्य है

1- छात्र/छात्रा का पूरा नाम : ....

2- छात्र/छात्रा का आधार संख्या : ....

3- पिता का पूरा नाम : ....

4- माता का पूरा नाम : ....

5- स्थायी पता (पत्राचार हेतु साफ-साफ शब्दों में पठनीय हो, पिन कोड सहित) : ....
....
....

6- विषय : ....
....

7- अनुसरण का कोड नम्बर : ....

8- मोबाइल नम्बर (जो उपयोग में हो) : ....

9- पंजीकरण संख्या :

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर एवं दिनांक

छात्र/छात्रा द्वारा स्व हस्तलिखित भरा जाना अनिवार्य है

1- छात्र/छात्रा का पूरा नाम : ....

2- छात्र/छात्रा का आधार संख्या : ....

3- पिता का पूरा नाम : ....

4- माता का पूरा नाम : ....

5- स्थायी पता (पत्राचार हेतु साफ-साफ शब्दों में पठनीय हो, पिन कोड सहित) : ....
....
....

6- विषय : ....
....

7- अनुसरण का कोड नम्बर : ....

8- मोबाइल नम्बर (जो उपयोग में हो) : ....

9- पंजीकरण संख्या :

छात्र/छात्रा का हस्ताक्षर एवं दिनांक

पी0एस0यू0पी0-1 शिक्षा पत्राचार-03.05.2023-10,000 प्रतियां (डी0टी0पी0/आफसेट)।